न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

माता–पिता भरण पोषण अपील संख्याः 01/2025

दायर दिनांकः 03.02.2025

निर्णय दिनांक 13.02.2026

–:अनवानः–

बबली देवी पत्नि स्वर्गीय दिनेश जी जाति कुम्हार निवासी कुम्हारवाडा नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद – अपीलाण्ट

बनाम

कंकुबाई पत्नि घनश्याम जी जाति कुम्हार निवासी सुखाडिया नगर नाथद्वारा हाल महावीर कॉम्पलेक्स के पास, बस स्टेण्ड नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 06.12.2024 द्वारा माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा, बअनवान कंकुबाई बनाम सुभाष व अन्य प्रकरण संख्या 04/2022 से व्यथित होकर

उपस्थितः–

1– श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता अपीलाण्ट

2– श्री विक्रम कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट नाथद्वारा के प्रकरण संख्या 04/2022 निर्णय दिनांक 06.12.2024 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाबदावे में समस्त सम्पत्तियों को पुश्तैनी व मौरूसी बताया है, जो घनश्याम जी जो अपने बाप दादाओ से प्राप्त हुई है। मौरूसी व पुश्तैनी से अपीलांट व अपीलांट के जेठ जी सुभाष जी कैलाश जी सभी को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है व सभी का बराबर हक व अधिकार है। रेस्पोडेण्ट द्वारा रहने के लिए इजाजत देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजरी अंदाज कर अपीलांट को बेदखल करने में भारी भूल की है। रेस्पोडेण्ट वृद्ध महिला होकर वह अपनी तल्लाकशुदा पुत्री रेखा के असम्यक प्रभाव व दबाव में आकर यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व विपक्षीगण के समक्ष प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेण्ट की पुत्री, अपीलांट व उनके दोनों जेठ जी घनश्याम जी की समस्त जायदाद से बेदखल करने के आशय से यह झूठा प्रार्थना पत्र गलत

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित उक्त तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर उक्त आदेश पारित किया जो अवैद्य है। अपीलाण्ट के पति दिनेश का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट के तीन छोटे छोटे बाल बच्चे है। अपीलांट अपने स्वयं का व अपने बच्चो का भरण पोषण बडी मुश्किल से मजदूरी करके करती है। अपीलांट कुम्हारवाडा में स्थित जायदाद पर बने एक कमरे में वर्तमान में निवास कररही है। यदि अपीलांट को उक्त कमरे से बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट व उसके बच्चे बच्ची रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी एवं दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जायेगे। रेस्पोडेण्ट को 1500/– रूपये वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त होती है फिर रेस्पोडेण्ट कुम्हार वाडा स्थित मकान के आगे सुखी लकडियो का स्टोक कर बेचने का काम करती है जिससे उसे आसानी से कमाई हो जाती है। केवल मात्र रेस्पोडेण्ट द्वारा उसकी पुत्री रेखा के बहकावे में आकर अपीलांट के विरूद्ध केवल मात्र हैरान परेशान करने के लिए यह कार्यवाही कराई है ताकि अपीलांट हैरान परेशान होकर अन्यत्र नाते चली जावे एवं जायदाद में अपीलांट का हिस्सा है उसे प्राप्त हो सके। पक्षकारान के मध्य विवाद उत्तराधिकार से संबधित होकर मामला सिविल प्रकृति का है, फिर भी रेस्पोडेण्ट अपीलान्ट के साथ रहे तो अपीलांट उसका भरण पोषण करने को तैयार हे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम कुमावत ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाबदावे में समस्त सम्पत्तियों को पुश्तैनी व मौरूसी बताया है, जो अपने बाप दादाओ से प्राप्त हुई है। मौरूसी व पुश्तैनी से अपीलांट व अपीलांट के जेठ जी सुभाष जी कैलाश जी सभी को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है व सभी का बराबर हक व अधिकार है। रेस्पोडेण्ट द्वारा रहने के लिए इजाजत देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजरी अंदाज कर अपीलांट को बेदखल करने में भारी भूल की है। रेस्पोडेण्ट वृद्ध महिला होकर वह अपनी तल्लाकशुदा पुत्री रेखा के असम्यक प्रभाव व दबाव में

आकर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व विपक्षीगण के समक्ष प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेण्ट की पुत्री, अपीलांट व उनके दोनों जेठ जी घनश्याम जी की समस्त जायदाद से बेदखल करने के आशय से यह झूठा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित उक्त तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर उक्त आदेश पारित किया जो अवैद्य है। अपीलाण्ट के पति दिनेश का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट के तीन छोटे छोटे बाल बच्चे है। अपीलांट अपने स्वयं का व अपने बच्चो का भरण पोषण बडी मुश्किल से मजदूरी करके करती है। अपीलांट कुम्हारवाडा में स्थित जायदाद पर बने एक कमरे में वर्तमान में निवास कररही है। यदि अपीलांट को उक्त कमरे से बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट व उसके बच्चे बच्ची रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी एवं दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जायेगे। रेस्पोडेण्ट को 1500/– रूपये वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त होती है फिर रेस्पोडेण्ट कुम्हार वाडा स्थित मकान के आगे सुखी लकडियो का स्टोक कर बेचने का काम करती है जिससे उसे आसानी से कमाई हो जाती है। केवल मात्र रेस्पोडेण्ट द्वारा उसकी पुत्री रेखा के बहकावे में आकर अपीलांट के विरूद्ध केवल मात्र हैरान परेशान करने के लिए यह कार्यवाही कराई है ताकि अपीलांट हैरान परेशान होकर अन्यत्र नाते चली जावे एवं जायदाद में अपीलांट का हिस्सा है उसे प्राप्त हो सके। पक्षकारान के मध्य विवाद उत्तराधिकार से संबधित होकर मामला सिविल प्रकृति का है, फिर भी रेस्पोडेण्ट अपीलांट के साथ रहे तो अपीलांट उसका भरण पोषण करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर समुचित न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट एक वृद्ध महिला है, रेस्पोडेन्ट के संताने होने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट वृद्ध नहिला को बेसहारा छोड़ रखा है जिसके कारण उसे अन्यत्र किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। नाथद्वारा में तीन–तीन मकान होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट को निराश्रित होकर निवास करना पड़ रहा है तथा संतानों द्वारा इनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है और सुखाड़िया नगर वाला मकान रेस्पोडेन्ट का स्व0 अर्जित मकान है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उक्त संपत्ति मौरूसी व पुश्तैनी से अपीलांट व अपीलांट के जेठ जी सुभाष जी कैलाश जी सभी को उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है व सभी का

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

बराबर हक व अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर अपीलांट को बेदखल करने में भारी भूल की है। अपीलाण्ट के पति दिनेश का स्वर्गवास हो चुका है और अपीलाण्ट के तीन छोटे छोटे बाल बच्चे है। पक्षकारान के मध्य विवाद उत्तराधिकार से संबधित होकर मामला सिविल प्रकृति का है, फिर भी रेस्पोडेण्ट अपीलांट के साथ रहे तो अपीलांट उसका भरण पोषण करने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

उक्त संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि विधवा पुत्रवधू का अधिकार यह न्यायालय स्वीकार करता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी की विधवा पुत्रवधू है। साथ ही मानवीय जीवन का अधिकार भारत के संविधान और मानवीय गरिमा के आलोक में, अपीलार्थी को भी सम्मानपूर्वक मानव जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि आवास का अधिकार के संबंध में देखे तो जीवन जीने के अधिकार के तहत अपीलार्थी को कुम्हारवाड़ा स्थित मकान से निष्कासित (बाहर) नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रखने हेतु यह आदेश दिया जाता है कि उसे कुम्हारवाड़ा स्थित मकान से निष्कासित (बाहर) नहीं किया जाए। एवं इस प्रकरण के शेष निर्णय और भरण–पोषण सम्बन्धी शर्तें पूर्व में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा पारित प्रकरण संख्या 04/2022 के आदेश के अनुरूप ही रहेंगी।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)